# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—472/2015 /223(2015/00312)

1. पांचूलाल पुत्र श्री सुजा उर्फ सूरजमल
2. मांगीलाल पुत्र श्री ज्यारा (मृतक) जरिये वारिसान
2/1 काली देवी पत्नी स्व. श्री मांगीलाल
2/2 शिवराम पुत्र स्व. श्री मांगीलाल
2/3 इंदिरा पुत्री स्व. श्री मांगीलाल
2/4 गौज्या पुत्री स्व. श्री मांगीलाल
2/5 सौजकी पुत्री स्व. श्री मांगीलाल
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. गंगाराम पुत्र श्री भागुता उर्फ भागीरथ (फौत)
1/1 बदीता पुत्री गंगाराम
1/2 सीमा पुत्री गंगाराम
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम सुन्दरपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय सावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी दिनांक 25.06.2015 अंतर्गत वाद संख्या 87/2014.

उपस्थितः—

1. श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री एस.पी.ओझा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/2.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

## निर्णय

दिनांकः— 16.09.2022.

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, केकडी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.2015, वाद संख्या 87/2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट ने एक वाद अंतर्गत धारा 53,88,188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध अपीलांटस/प्रतिवादीगण के उपखण्ड अधिकारी केकडी के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुंदरपुरा में स्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

विवादित आराजी खसरा नम्बर 334 रकबा 0.06 हैक्टर खसरा नम्बर 336 रकबा 0.17 हैक्टर खसरा नम्बर 148 रकबा 0.93 हैक्टर खसरा नम्बर 163 रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 166 रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 167 रकबा 0.65 हैक्टर खसरा नम्बर 168 रकबा 0.20 हैक्टर में वादीगण 1/3–1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा आता है एवं खसरा नम्बर 482 रकबा 0.27 हैक्टर में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/3–1/3 हिस्सा आता है जो राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज होती चली आ रही है तथा वादीगण तथा प्रतिवादीगण का वाद वर्णित आराजी पर संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी बाबत आज दिन तक किसी प्रकार का विधिक बंटवारा नहीं हुआ है प्रतिवादीगण बिना किसी विधिक बंटवारे के उक्त आराजीयात के बेचान करने पर आमादा है और वादीगण के वास्तविक एवं भौतिक कब्जे काश्त में दखलंदाजी उत्पन्न करते रहते है और आए दिन वादीगण द्वारा बोई हुई फसलों को नुकसान कारित कर आर्थिक नुकसान पहुंचाते है।वादीगण ने दिनांक 1.5.2014 को प्रतिवादीगण के अपने हिस्से की आराजीयात पर बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का निवेदन किया, लेकिन वादीगण को प्रतिवादीगण ने एक राय होकर बंटवारा कराने से इंकार कर दिया जिस कारण उक्त वाद बंटवारा प्रस्तुत करना लाजमी एवं उक्त अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.7.2014 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। जिस पर दिनांक 12.11.2014 को प्रतिवादीगण की तरफ से अभिभाषक द्वारा प्रकरण वास्ते जवाब नियत किया गया। प्रकरण जवाब में ही नियत था इसी दौरान प्रकरण को अपीलांटस को सूचित किए बिना दिनांक 18.6.2015 को लोक अदालत में रेफर कर दिया और अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिए बिना दिनांक 25.6.2015 को प्रकरण को कैम्प में निर्णित कर अपीलांटस/प्रतिवादीगण के अनुपस्थिति में वाद वादीगण डिक्री फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2015 से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम की बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2015 प्रार्थी के पीठ पीछे एक तरफा में पारित किया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नही थी दिनांक 01.10.2015 को अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर आकर प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलदांजी व मजाहमत उत्पन्न की गई एवं आक्षेपित निर्णय/डिक्री के बारे में बताया गया। उसके पश्चात अभिभाषक से सम्पर्क कर प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है फिर भी न्यायालय अपील प्रस्तुती में देरी का मानते है तो देरी सद्भाविक होने से क्षमा किया जाना न्यायोचित है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. तत्पश्चात विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रतिवादीगण/अपीलांटस को सूचित किए बिना उनके पीठ पीछे पारित किए गए है, जो न्याय नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि प्रकरण वास्ते जवाब दावा प्रस्तुत किए जाने हेतु नियत था जिसे बिना सूचना किए राजस्व शिविर में नियत किया गया तथा राजस्व शिविर में प्रतिवादीगण/अपीलांटस की अनुपस्थिति में ही प्रकरण को निर्णित कर वाद डिक्री फरमा दिया। जबकि प्रतिवादीगण/अपीलांटस की अनुपस्थिति में राजस्व शिविर में प्रकरण में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं किया जा सकता था बल्कि प्रकरण पुनः न्यायालय के समक्ष नियत होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पूर्ण साक्ष्य लेकर निर्णित फरमाया जाना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर एवं राजस्व शिविर लोक अदालतों के विपरीत जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया है, जो अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। वर्तमान अपीलांट संख्या 1 पांचूलाल द्वारा वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 2 बाली देवी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में चुनौती दे रखी है जिसमें सिविल न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय, केकडी द्वारा स्थगन ओदश दिनांक 19.2.2015 को पारित किया गया है ऐसी स्थिति में जब तक सिविल न्यायालय से प्रकरण का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक रेस्पोडेंट संख्या 2 बाली देवी वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कराने की अधिकारी नहीं है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरन्दाज करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करने पर घोर कानूनी त्रुटि बरती है जिससे उनके द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री काबिल निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,केकडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2015 को निरस्त फरमाया जाए।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि जो देरी कारण अंकित किये गये है वह संतोषजनक कारण नही है, मनगढ़ंत बनाये गये है। देरी के कारण संतोषजनक होने पर ही प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जा सकता है अन्यथा नहीं। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

7. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 0 2 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात जमाबंदी अनुसार वाके ग्राम सुंदरपुरा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। उक्त आराजीयात जो कि सभी ग्राम संदुरपुरा में स्थित है का विवरण पेश पत्रावली अनुसार वर्णित है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात में वर्तमान रेस्पोडेंट व वादी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज होती चली आर रही है तथा वर्तमान रेस्पोडेंट व वादीगण का वाद वर्णित आराजीयात पर संयुक्त कब्जा, काश्त चला आ रहा है। वर्तमान रेस्पोडेंट व वादीगण के मध्य आज दिन तक किसी प्रकार से विधिक रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। वर्तमान रेस्पोडेंट व वादीगण का राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज होती चली आ रही है। वादीगण बिना किसी विधिक बंटवारे के उक्त आराजीयात को बेचान करने पर आमादा है और वर्तमान रेस्पोडेंट के वास्तविक व भौतिक कब्जे काश्त में दखलांदजी उत्पन्न करते रहते हैं और आए दिन वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा बोई हुई फसलों का नुकसान करके आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान रेस्पोडेंट ने दिनांक 01.05.2014 को वादीगण से सभी अपने अपने हिस्से की आराजीयात का मिल बैठकर बंटवारा कर राजस्व रेकार्ड में बंटवारा करने का निवेदन किया लेकिन वर्तमान

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

रेस्पोडेंट को वादीगण ने एक राय होकर आपसी सहमति से बंटवारा करने से मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र विधिक बंटवारा कराने हेतु प्रस्तुत करना लाजमी है और बंटवारा करके प्रत्येक हिस्सेदार को उसकी अलग अलग जमाबंदी नक्शा तरमीम करके अलग अलग लगान वसूली की जावे तथा समस्त राजस्व रेकार्ड में प्रत्येक हिस्सेदार का अलग अलग इंद्राज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से जरिये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जवाब दावे बाबत् कई अवसर देने के बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जवाब प्रस्तुत करने का समय केवल 90 दिवस होता है उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। दावा बंटवारा बावत् था। दिनांक 25.06.2015 को पत्रावली कैम्प बाजटा में प्रस्तुत की गई, प्रतिवादी संख्या 01, 02 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 के खाता संख्या 75, 12, 108 के बाबत् तहसीलदार, सावर को अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का उनके दर्ज हिस्से अनुसार प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये है। धारा 53 में राजस्व रिकार्ड के मुताबिक विभाजन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश दिये है, जो विधि सम्मत आदेश है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज की जावें।

8. विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थीगण/अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अपील प्रस्तुत में हुयी देरी के कारण जो अंकित है जो संतोषजनक होने के कारण न्यायहित में प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. तत्पश्चात विद्धान अभिभाषकगण के द्वारा अपील पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं गुणावगुण पर पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.06.2015 को कैम्प कोर्ट बाजटा में प्रतिवादी/अपीलांटस की अनुपस्थिति में तहसीलदार, सावर से बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय यह अंकित किया है प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित थे। प्रतिवादीगण की उपस्थिति के बिना राजस्व शिविर लोक अदालतों में प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया जा सकता। आदेश 23 नियम 3 जाप्ता दीवानी के अनुसार किसी भी वाद में पक्षकारों की सहमति से राजीनामा हो सकता है। राजीनामा/लोक अदालत प्रकरणों का एक सुदृढ़ वैकल्पिक साधन/तरीका (Mode) है। लोक अदालत की भावना वहॉ मान्य होगी जहॉ पर पक्षकारान के बीच समझौता, राजीनामा या विड्रो जैसे तथ्य हो, जहॉ पक्षकारान किसी प्रकरण को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा लड़ना चाहते है वहॉ पर लोक अदालत या कैम्प कोर्ट की भावना से प्रभाव रूप से पक्षकारान के मध्य निर्णय पारित नहीं किये जा सकते है। वाद में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के आदेश से पूर्व प्रतिवादीगण/अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया तथा सभी पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामें से सहमत नही थें। वाद

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त कारणों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, केकडी के द्वारा वाद संख्या 87/2014 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण को जवाव प्रस्तुत करने अवसर देते हुए, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः प्राथमिक डिक्री पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.10.2022 को उपस्थित होने के लिए पावंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर